

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय  
मंडल रेल प्रबंधक(का0)  
समस्तीपुर

कार्यालय आदेश सं-227/NG/2019/Engg/spj

निम्नलिखित अभ्यर्थी जो अनुकम्पा के अधार पर अभियंत्रण विभाग के पेन्टर-III वेतनमान (5200-20200) ग्रेड पे-1900/के पद पर नियुक्ति हेतु अनुमोदित हैं, एवं निर्धारित चिकित्सा श्रेणी में योग्य घोषित किये जाने के उपरान्त मरेप्र (कार्मिक) का का0 आदेश सं0-07/2016 दिनांक:-08.04.2016 एव वमई/समन्वय/सम0 का पत्र सं0-का/283/आर्टिजन/पार्ट-1/डब्लू-6 दिनांक:- 19.04.2016,के द्वारा प्रशिक्षण हेतु भेजे गये थे, के आलोक में इन्होंने दिनांक:-19.04.2016से दिनांक:-04.09.2019 तक सिसेई/कार्य/नरक0 के अधीन प्रशिक्षण पूर्ण किए है। प्रशिणोपरान्त सिसेई (कार्य) नरक0 का पत्रांक:-327.दिनांक :-04.09.2019 के द्वारा इस कार्यालय में दिनांक-05.09.19 को रिपोर्ट किये है। महाप्रबंधक महोदय का पत्रांक-ईसीआर/एचआरडी/इर्जी/Change of Category/Vinita kumari दिनांक-06.09.2018 के अनुपालन में इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं0-1186/NG/2019/Engg/spj. दिनांक-06.11.2019 के द्वारा इनकी नियुक्ति पर पदस्थापना उप मुसाडि प्रबंधक/सम0 के अधीन पेन्टर-III के पद पर की गई।

उप मुसडी/सम0 का पत्रांक-का/एस/239/III/1104 दिनांक-19.03.2020 के द्वारा पेन्टर कोटि का कोई पद स्वीकृत नही होने के कारण इन्हें वापस मरेप्र (का0) कार्यालय मे भेजा गया है, के आलोक में पुनः पदस्थापना हेतु अभ्यर्थी इस कार्यालय मे दिनांक-19.03.2020 को रिपोर्ट किये है को उनके नाम के सामने अंकित पद पे लेवल, एवं स्टेशन पर पदस्थापित किया जाता है।

क्रम सं0	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम सर्व श्री	चिकित्सा श्रेणी/प्रमाण पत्र सं0 एवं दिनांक	जन्म तिथि	समुदाय	पद एवं पे लेवल	योगता	पदस्थापना स्टेशन	पदस्थापना पर वेतन निर्धारण
01	श्रीमती विनीता कुमारी पत्नी-स्व0 चन्द्रप्रकाश शर्मा	A-1 & below without glass/.(sr.DMO/SPJ) सं0-023430/144 दिनांक:-20.03.2015 24	07-02-1986	UR	पेन्टर-III पे0लेवल-02 (ग्रेड पे-1900)	ईण्टर	अधीन-सिसेई(कार्य)/नरकटिया गंज	22400/- (7thcpc) अगली वेतन वृद्धी तिथि-01.01.2021

उपरोक्त नियुक्ति पुर्णतःअस्थायी एवं औपबंधिक (provisional)है।

इनकी नियुक्ति के मामले में वे सभी शर्तें लागू होगा जो एक अस्थायी तृतीय श्रेणी के कर्मचारी के साथ लागू होती है, चरित्र सत्यापन के दौरान पुलिस द्वारा प्रतिकूल प्रतिवेदन आने पर एवं शैक्षणिक तथा अन्य प्रमाण-पत्र के सत्यापन के दौरान कोई भी त्रुटि पाये जाने पर या माता पिता/पति पत्नी/बच्चों जैसा भी मामला हो के साथ तथा परिवार के अन्य सदस्यों के देख रेख नही किये जाने पर सेवा स्वतः समाप्त कर दी जाएगी।

आवश्यकतानुसार इन्हे प्रादेशिक सैन्य सेवा में एवं रेलवे इंजीनियरिंग ईकाई में 12 वर्षों तक तथा प्रादेशिक सेवा में 03वर्षों तक या आवश्यकतानुसार जो अवधि निर्धारित की जाएगी सैन्य सेवा करनी होगी इनकी रेल सेवा रेलवे बोर्ड द्वारा दिनांक:-01.01.2004 से प्रभावी नई नियम योजना से शासित होंगे।

उपरोक्त संक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित है।

	कर्मचारी का हस्ताक्षर
	<i>विनीता कुमारी</i>
	दायें हाथ के अंगूठे का निशान

मंडल कार्मिक अधिकारी  
पूर्व मध्य रेल, समस्तीपुर

(आर0आर0लकडा)  
मंडल कार्मिक अधिकारी  
कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)  
समस्तीपुर  
दिनांक-05.05.2020

सं0:-का/227/अभि0/आर्टिजन/नियुक्ति-प्रशिक्षण/सम0  
प्रति लिपि सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1.वमविप्र 2.वमई(समन्वय)सम0 03.उप मु0समडी/सम0 04.समई/नरक0 05.सिसेई(कार्य)नरक0 06.विल लिपिक कर्मचारी के प्रशिक्षण अबधिक में एवं रिपोर्ट करने की तिथि-दिनांक-19.03.2020 से (covid-19) के कारण हुए लॉक डौन मे दिनांक-23.03.2020 से 04.05.2020 तक एवं कार्यालय आदेश जारी करने की अवधि तक को प्रशिक्षण अवधि का विस्तार मानते हुए वृत्तिका ही देय होगा तथा वेतन का लाभ अभ्यर्थी के वास्तविक रूप कार्यभार ग्रहण करने तिथि से देय होगा। 4.संबंधित कर्मचारी 5.मंडलमंत्री/ईसीआरकेयू/सम0, अजा0-अजजा0, एवं ओबीसी एश0/सम0 7.सम्बंधित कर्मचारी

कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)  
समस्तीपुर